अध्यक्ष महोदय

असंशोधित

24 MAR 2003

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मु० (एल० ए०) 174—मो०गो०—1000—2-12-2002—

टर्न-32/24.3.03/
श्री रमण-तबलू/

(65)

क्रमांक-17-श्री हरि प्रसाद साह

श्री हरि प्रसाद साह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड में महादेवमठ के निकट तिलयुगा नदी पर आवागमन की सुविधा हेतु आर0सी0सी0 पुल का निर्माण ~~करे~~ कराये ।"

श्री महाबली सिंह (मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, संबंधित पथ पथ निर्माण विभाग का नहीं है । यह पथ ग्राम्य अभियंत्रण संगठन विभाग से संबंधित है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्री महाबलीजी, जवाब देने के लिये खड़े हुए आप, आपके विभाग का नहीं है, किस विभाग का है, उस विभाग के माननीय मंत्री से विचार करके जवाब देना चाहिये आपको । विचार-विमर्श करके जवाब देना चाहिये । विचार विमर्श करने की स्थिति में यदि नहीं हैं तो जिनका रोड हैं, उन्हीं को दे देते कि आपका रोड है, आपको ही जवाब देना है ।

जगदा बाबू, सरकार से यह अभिस्ताव आया है-" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड में महादेवमठ के निकट तिलयुगा नदी पर आवागमन की सुविधा हेतु आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराये"

अब मंत्रीजी कहते हैं कि पथ निर्माण विभाग का नहीं है, आर0ई0ओ0 का है, सरकार को जवाब देना है ।

श्री उमा शंकर सिंह : एक सुझाव देना चाहता हूं । यह मंत्रिगण जो कहते हैं कि मेरा विभाग नहीं है, मेरी समझ से यह विधान सभा सचिवालय ~~की~~ की ही गलती है कि इस विभाग का उस विभाग में भेज दिया । इस सड़क को उसमें भेज दिया ।

उपाध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय सदस्य, उमा शंकर बाबू, यह विधान सभा सचिवालय की जो इसमें भूमिका हो, लेकिन माननीय सदस्यगण को भी जो देते हैं, जिनको स्पष्ट जानकारी है, समुचित जानकारी हैं, उनको भी विभाग का नाम देना चाहिये ।

श्री उमा शंकर सिंह : गैर सरकारी संकल्प में कहीं विभाग का नाम दिया जाता है ?

श्री उपेन्द्र प्र0 वर्मा (मंत्री) : हमेशा दिया जाता है । मैं जवाब दे देता हूं ।

महोदय, श्री हरि प्रसाद साह ने मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड में महादेवमठ के निकट आवागमन की सुविधा हेतु आर0सी0सी0 पुल के निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा है । सरकार इसपर विचार करेगी और इसके लिये जो कार्रवाई होती है, उसको प्रारंभ करेगी । ~~तत्~~ तत्काल हम माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि इसको वापस ले लें ।

(65)A

टर्न-32/24.3.03/
श्री रमण-बबलू/

श्री हरि प्रसाद साह : एक छोटा सा कस्बा है / महादेवमठ । वह बोर्डर है मधुबनी और अन्य जिलों का, वही एक रास्ता है आने जाने का । इसको बनवा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वे इसकी जांच करा कर उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, निर्माण के बारे में तथ्यात्मक कार्रवाई करेंगे ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री): विचार करना भी आश्वासन है महोदय ।

उपाध्यक्ष : सरकार ने आश्वासन दिया है । आप वापस करेंगे ?

श्री हरि प्रसाद साह : मैं वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से वापस हुआ ।

उमा शंकर बाबू, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, विधान सभा सचिवालय से जो / हम भेजते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि जिस विभाग को भेजते हैं, यदि उस विभाग को मालूम रहता है कि उसका नहीं है तो उसको निर्देशित है कि जिस विभाग का है, उसे स्थानांतरित कर दे । इसलिये विधान सभा सचिवालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है ।